न्यायालय– सुश्री यशमी अग्रवाल, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, महेश्वर (म.प्र.)

(पीठासीन अधिकारी – सुश्री यशमी अग्रवाल)

Ragistration No.	RCS A/26/2022
Filing No.	RCS A/55/2022
C.N.R. No.	MP1010-001071-2022
Date of Filing	20-10-2022

बसन्त पिता बोखार केदारे, उम्र 48 वर्ष,
धंधा– ऑटोमोबाईल पंक्चर दुकान,
निवासी– पाडल्या खुर्द, तहसील– महेश्वर,
जिला खरगोन (म.प्र.)

.....आवेदक / वादी

विरूद्ध

1. मुकेश पिता गोविन्द जाट, उम्र 50 वर्ष,
धंधा– कृषि, निवासी– माल्याखेड़ी
तहसील– महेश्वर, जिला खरगोन (म.प्र.)

2. संदीप पिता मोहनलाल जायसवाल, उम्र 35 वर्ष,
निवासी– पाडल्या खुर्द, तहसील– महेश्वर
जिला खरगोन (म.प्र.)

3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद करही,
जिला खरगोन (म.प्र.)

8/02/25
(सुश्री यशमी अग्रवाल)
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश
कनिष्ठ खण्ड, महेश्वर (म.प्र.)

.....अनावेदक / प्रतिवादीगण

आवेदक द्वारा	– श्री जिरेती, अधिवक्ता।
अनावेदकगण क्र. 1 व 2 द्वारा	– श्री अजय वर्मा, अधिवक्ता।
अनावेदक क्र. 3 द्वारा	– श्री भावसार, अधिवक्ता।
अनावेदक क्र. 4 द्वारा	– पूर्व से एकपक्षीय।

आदेश

(आज दिनांक 08.02.2025 को पारित किया गया)

1. इस आदेश द्वारा वादी के आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का निराकरण किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से वादीगण को आगे आवेदक तथा प्रतिवादीगण को अनावेदक नाम से संबोधित किया जावेगा।

2. आवेदन के माध्यम से आवेदक ने यह व्यक्त किया है कि आवेदक को ग्राम पंचायत पाडल्या खुर्द द्वारा दिनांक 16.06.2013 को प.ह.नं. 56 आबादी खसरा नं. 447 में भू–खण्ड की भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त भू अधिकार पत्र प्रदान किया गया है, जो 750 वर्गफीट, 15 गुणित 50 फीट है, जिसकी चर्तुसीमा अनुसार पूर्व में संतोष का मकान, पश्चिम में मेन रोड़, उत्तर में सोसायटी तथा दक्षिण में लालू का मकान स्थित है। आवेदक उक्त चर्तुसीमा के मध्य स्थित प्लॉट का मालिक है एवं उक्त प्लॉट को 38 गुणित

8/02/25

(सुश्री यशमी अग्रवाल)
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश
कनिष्ठ खण्ड, महेश्वर (म.प्र.)

15 फीट पर मकान वर्ष 1997 से बना हुआ है एवं दुकान 12 गुणित 15 फीट पर दुकान ऑटोमोबाईल पंक्चर एवं मोबाईल रिपेयरिंग की है।

3. आवेदन पत्र में आगे यह व्यक्त किया गया है कि उक्त मकान में वर्ष 1997 से निवास कर रहा है तथा उक्त संपत्ति उसके आधिपत्य में हैं एवं दुकान भी प्रशिक्षण लेकर शासकीय योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत शिक्षित बेरोजगार का लोन 32 हजार रूपए लेकर व्यवसायरत है। आवेदक का आवागमन का रास्ता उसके भूखण्ड से ही होकर जाता है। उषाबाई, मधुबाई पिता हीरालाल पति गुलाबचंद जायसवाल, शारदाबाई पिता हिरालाल पति महेन्द्र जायसवाल एवं मनोरमबाई पिता हिरालाल पति मोहनलाल जायसवाल, पप्पी पिता हिरालाल पति नरेन्द्र द्वारा प्रतिवादी क्र. 1 को दिनांक 24.08.2021 को विक्रय कर दिया था। आवेदक के स्वत्व आधिपत्य कब्जे के भूखण्ड को भी अपना बताकर विक्रेतागण द्वारा प्रतिवादी क्र. 1 को विक्रय कर दिया जो अवैध होकर आवेदक पर बंधनकारक नहीं है।

4. प्रतिवादी क्र. 1 द्वारा आवेदक को विक्रय पत्र के आधार पर धमकी देकर दुकान तोड़ने को कहा, जबकि आवेदक की दुकान के पीछे शासकीय कुआं है, जो प्रतिवादी क्र. 1 के द्वारा उक्त कुएं को मिट्टी डालकर बंद कर दिया गया है। आवेदक द्वारा इस संबंध में कलेक्टर, जिला खरगोन एवं पुलिस अधीक्षक, खरगोन तथा अनुविभागीय अधिकारी, मण्डलेश्वर एवं अतिरिक्त तहसीलदार टप्पा करही को भी लिखित में शिकायत दिनांक 13.10.2021, 18.10.2021 तथा 25.10.2021 को की गई थी।

8/02/25
(सुश्री यशमी अग्रवाल)
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश
कनिष्ठ खण्ड, महेश्वर (म.प्र.)

5. नगर पंचायत करही के द्वारा आवेदक को सूचना पत्र दिया गया आपकी दुकान अतिक्रमण में लगी होकर उसे 03 दिन में हटा लेवे अन्यथा नगर पंचायत द्वारा दुकान तोड़ दी जाएगी, जिसका जवाब भी आवेदक द्वारा सप्रमाण दिया गया है। आवेदक के द्वारा उक्त विक्रय पत्र के संबंध में सबरजिस्ट्रार महेश्वर एवं करही में लिखित शिकायत की थी। आवेदक के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्ध आवेदन पत्र में वर्णित भूमि आवेदक के स्वत्व व आधिपत्य की होकर प्रतिवादी क्र. 1 को उक्त प्लॉट को विक्रय किया गया है, जो कि आवेदक पर बंधनकारक नहीं है। अतः सदर वाद के निकाल होने तक उक्त मकान व दुकान से बेदखल अनावेदकगण स्वयं या अन्य अन्य के माध्यम से नहीं करने एवं उसके शांतिपूर्ण आधिपत्य में किसी भी प्रकार से दखलअंदाजी नहीं करने का आदेश प्रदान किए जाने का निवेदन किया गया है।

6. आवेदन पत्र के लिखित जवाब में प्रतिवादी क्र. 3 की ओर से यह व्यक्त किया गया है कि वर्ष 1997 से उक्त भूखण्ड पर मकान होने के संबंध में नगर परिषद करही में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है। न्यायालय तहसीलदार द्वारा प्रेषित पत्र के आधार पर आवेदक को विधिवत सूचना पत्र दिया गया है। आवेदक ने विक्रय पत्र के संबंध में सब रजिस्ट्रार महेश्वर एवं करही में क्या शिकायत की है, उसकी जानकारी अनावेदक क्र. 3 को नहीं है। नायब तहसीलदार करही के निर्देश पर दावा लगाने के पूर्व ही आवेदक का अतिक्रमण हटा दिया गया है, मौके पर आवेदक का वर्तमान में कोई कब्जा नहीं है। वाद वर्णित भूमि पर ना तो आवेदक का कब्जा है और ना ही प्लॉट है। अतः आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

8/02/25

(सुश्री यशमी अग्रवाल)
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश
कनिष्ट खण्ड, महेश्वर (म.प्र.)

7. प्रतिवादी क्र. 1 एवं 2 की ओर से आवेदन पत्र के लिखित जवाब में समस्त कण्डिकाओं को अस्वीकार करते हुए यह व्यक्त किया गया है कि आवेदक आवेदन पत्र में चाही गई किसी भी सहायता को पाने का पात्र नहीं है। आवेदक द्वारा अनावेदकगण को परेशान करने एवं उसने दबाव बना कर पैसा लेने की नियत से झूठा आवेदन पेश किया है। अतः आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

8. अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन के निराकरण हेतु सामान्यतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण आवेदक के पक्ष में होना एवं सुविधा का संतुलन होना एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दुओं पर विचार किया जाना होता है।

9. अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रक्रम पर वादी को प्रथम दृष्ट्या यह स्थापित करना होता है कि उसका प्रकरण ऐसा है, जिसमें एक ऐसा विचारणीय प्रश्न निहित है, जो साक्ष्य लेकर यदि तय किया जाए तो वादी के उस प्रकरण में सफल होने की पूर्ण संभावना हो। आवेदक द्वारा इस संबंध में अपने आवेदन में यह व्यक्त किया गया है कि ग्राम पंचायत पाडल्या खुर्द द्वारा दिनांक 16.06.2013 को पटवारी हल्का नंबर 56 आबादी खसरा नं. 447 में भूखण्ड पर आवेदक को भूस्वामी के रूप में अधिकार पत्र प्रदान किया गया है, जो 750 वर्गफीट है। उक्त प्लॉट पर 38 गुणित 15 फीट पर वर्ष 1997 से आवेदक का मकान बना हुआ है एवं 12 गुणित 15 वर्गफीट पर ऑटोमोबाईल पंक्चर एवं मोबाईल रिपेयरिंग की दुकान बनी हुई है। उक्त मकान में आवेदक वर्ष 1997 से निवासरत है। उक्त संपत्ति उसके आधिपत्य में हैं एवं दुकान पर शासकीय योजना के अंतर्गत एवं प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत शिक्षित बेरोजगार का लोन 32 हजार रूपए का लेकर वह अपना व्यवसाय चला रहा है।

8/02/25

(सुश्री यशमी अग्रवाल)
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश
कनिष्ठ खण्ड, महेश्वर (म.प्र.)

10. आवेदक का आवागमन का रास्ता उसके भूखण्ड से ही होकर जाता है। अनावेदक क्र. 1 ने दिनांक 24.08.2021 प्रार्थी के स्वत्व आधिपतय के भूखण्ड के कब्जे को भी अपना बताकर उषाबाई पति गिरधर जायसवाल, मधुबाई पिता हीरालाल पति गुलाबचंद, शारदाबाई पिता हिरालाल पति महेन्द्र जायसवाल, मनोरमा बाई पिता हिरालाल पति मोहनलाल जायसवाल, पप्पी पिता हिरालाल पति नरेन्द्र जायसवाल को विक्रय कर दिया है, जिस आधार पर प्रतिवादी क्र. 1 द्वारा आवेदक को धमकी दी गई कि अपनी दुकान तोड़ देना, वरना हम अपने हिसाब से तोड़ देंगे।

11. इस संबंध में नगर परिषद करही के द्वारा प्रार्थी को एक सूचना पत्र भी दिया गया था, जिसमें यह व्यक्त किया था कि दुकान अतिक्रमण में लगी होकर 03 दिन में लटा लेवे अन्यथा नगर पंचायत के द्वारा दुकान तोड़ दी जावेगी, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी आपकी होगी। जिसका जवाब भी प्रार्थी के द्वारा सप्रमाण दिया गया है। अनावेदक क्र. 1 ने नगर पालिका के माध्यम से उक्त सूचना पत्र आवेदक का दिलवाया था, जबकि किसी व्यक्ति का निजी कब्जा हटाने का अधिकार नगर पालिका को नहीं है।

12. प्रकरण का अवलोकन करने पर यह दर्शित है कि आवेदन के लंबित रहने के दौरान नगर पालिका करही द्वारा आवेदक की दुकान को तोड़ दिया गया है, जिसके संबंध में आवेदक ने फोटोग्राफ प्रस्तुत किए हैं, जिन फोटोग्राफ के अवलोकन पर यह दर्शित है कि आवेदक की दुकान पर हरी नेट बंधी हुई है तथा आवेदक ने जो शपथ पत्र प्रस्तुत किया है, उसमें उसने स्वयं का तथा मोहन का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। जिसमें भी साक्षी

8/02/25

(सुश्री य शमी अग्रवाल)
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश
तनिष्ठ खण्ड, महेश्वर (म.प्र.)

मोहन ने यह व्यक्त किया है कि अनावेदकगण के द्वारा संगनमत होकर बसंत की दुकान तोड़ी गई है तथा आवेदक बसंत दुकान के भूखण्ड पर पाईप में हरी नेट बांधकर अपनी पंक्चर की दुकान संचालित कर रहा है। ऐसे में आवेदक द्वारा जो भी दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं, उनका अवलोकन से यह दर्शित है कि आवेदक वर्तमान में दाविया भूमि पर काबिज है तथा हरी नेट बांधकर अपनी दुकान का संचालन कर रहा है तथा अनावेदकगण द्वारा उसे दुकान तोड़ने का नोटिस दिया जाना भी प्रथम दृष्ट्या यह दर्शित करता है कि दाविया भूमि पर आवेदक का ही आधिपत्य है। ऐसी दशा में जहां कि कब्जा विधि का प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य होता है ऐसे में प्रथम दृष्ट्या प्रकरण आवेदक के पक्ष में दर्शित होता है। अतः उक्त विवेचना के आलोक में आवेदक इस प्रक्रम पर यह स्थापित करने में सफल रहा है कि प्रथम दृष्ट्या प्रकरण उसके पक्ष में है, इस कारण से आवेदक के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

13. जहां तक सुविधा के संतुलन का प्रश्न है तो इस प्रकरण में यदि आवेदक के पक्ष में इस प्रक्रम पर अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं की जाती है तो आवेदक को उसकी दुकान टूट जाने से अनावेदक से अधिक असुविधा होना दर्शित हो रही है, किन्तु अनावेदक को कोई भी असुविधा होना प्रकरण में दर्शित नहीं है।

14. जहां तक अपूरणीय क्षति का प्रश्न है तो यदि इस प्रकरण में आवेदक के पक्ष में इस प्रक्रम पर अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं की जाती है तो आवेदक को ऐसी क्षति इस प्रक्रम पर होना दर्शित हो रही है, जिसकी पूर्ति करना असंभव होगा। वहीं यदि अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है तो अनावेदकगण को ऐसी क्षति होना इस प्रक्रम पर दर्शित नहीं हो रही है,

8/02/25

(सुधीर शर्मा अधिवक्ता)
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश
कनिष्ठ खण्ड, महेश्वर (म.प्र.)

जिसकी पूर्ति करना असंभाव्य हो।

15. अतः उपरोक्त संपूर्ण विवेचना के आलोक में यह आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. स्वीकार कर अनावेदकगण को यह निषेधित किया जाता है कि वह प्रकरण के अंतिम निराकरण तक या न्यायालय के आगामी आदेश तक आवेदक को उसकी दुकान व मकान से बेदखल ना करें और ना ही आवेदक के शांतिपूर्ण आधिपत्य में हस्तक्षेप करें और ना किसी अन्य के माध्यम से करावे।

16. इस आदेश द्वारा पारित किसी भी निष्कर्ष का प्रभाव गुण–दोषों के आधार पर पारित निर्णय पर नहीं पड़ेगा।

आदेश खुले न्यायालय में घोषित गया।
दिनांकित एवं हस्ताक्षरित किया गया।

8/02/25

सुश्री यशमी अग्रवाल,
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश,
कनिष्ठ खण्ड, महेश्वर (म.प्र.)

मेरे निर्देश पर टंकित किया ।

8/02/25

सुश्री यशमी अग्रवाल,
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश,
कनिष्ठ खण्ड, महेश्वर (म.प्र.)